



बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड Bihar Board Of Open Schooling & Examination



शिक्षा विभाग, बिहार का स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Organisation of Department of Education, Govt of Bihar
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परिसर, न्याय नगर, मीठापुर, पटना -800001
Chanakya National Law University Campus, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna-800001
Website: www.bbose.org Phone No: 0612-2355563
Email ID: info@bbose.org Fax No : 0612-2355662

कार्यालय आदेश सं०- 71

पटना, दिनांक - 24, जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश


हुनर-4 परियोजना के अन्तर्गत, प्रशिक्षण प्रदायी कार्यों के लिए, संलग्न सूची के अनुसार, चयनित गैर-सरकारी संस्थानों को उनके नामों के समक्ष अंकित जिलों के प्रखंडों में तथा उल्लिखित ट्रेडों में, सम्बन्धित ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए प्रविष्ट बालिकाओं को, प्रशिक्षण देने की स्वीकृति दी जाती है।

इसके लिए चयनित गैर सरकारी संस्थान, जिन्हें कार्य आवंटित किया गया है, वे कृपया संलग्न एकरारनामा के मसौदे को ध्यानपूर्वक पढ़कर और समझकर, रू० 1,000/- (एक हजार रूपये) के नन जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर, एकरारनामा को अक्षरशः टंकित कराकर और उस पर संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करवाकर एवं संस्थान का मुहर लगाकर, इस कार्यालय में, आदेश पत्र की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अवश्य ही जमा कर दें और प्राप्ति रसीद भी प्राप्त कर लें।

एकरारनामा जमा करवाने के पश्चात निर्धारित केन्द्र पर प्रशिक्षण प्रारंभ करवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक ट्रेड के लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकृत सिलेबस के अनुसार सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण देने का पूर्ण दायित्व संबंधित संस्थान का होगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समाप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि सम्बन्धित ट्रेड में प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरा हो गया है और शिक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जा सकती है।

प्रशिक्षण के अनुश्रवण के लिए, मोबाईल फोन द्वारा, प्रतिदिन प्रशिक्षुओं की कक्षा में उपस्थिति का प्रतिवेदन एवं दृश्य भेजना आवश्यक है। इस कार्य हेतु संस्थान द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले मोबाईल फोन में, सॉफ्टवेयर की लोडिंग, प्रशिक्षण आरंभ करने के पूर्व, बोर्ड कार्यालय से करवा लें।


यदि निर्धारित अवधि तक संस्थान द्वारा अपेक्षित एकरारनामा जमा नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि संस्थान प्रशिक्षण कार्य को संचालित करवाने के लिए इच्छुक नहीं है।


(अंगराज मोहन) 25/1/14
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञाप संख्या -

पटना, दिनांक - जनवरी, 2014

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित गैर सरकारी संस्थानों को एकरारनामा के मसौदे के साथ सूचनार्थ एवं ससमय आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अंगराज मोहन) 25/1/14
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी